न्यायालय : प्रधान न्यायाधीश– परिवार न्यायालय, एटा.
उपस्थित : श्रीमती मृदुला कुमार ::एच0जे0एस0::

नियमित प्रकीर्ण सं0– 01/2019

C.N.R,N0- UPEt02- 000057-2019

बसन्त कुमार उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी **IIIA** 36 नेहरू नगर, गाजियाबाद ।उ0प्र0।

..... प्रार्थी.

बनाम

श्रीमती प्राची उम्र लगभग 33 वर्ष पत्नी श्री बसन्त कुमार पुत्री श्री कालीचरन, निवासी ग्राम अम्बरपुर, जिला एटा।उ0प्र0।

..... विपक्षी.

–:निर्णय:–

यह नियमित प्रकीर्ण वाद धारा–8 तथा धारा–25 गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत, प्रार्थी बसन्त कुमार ने विपक्षिया श्रीमती प्राची के विरूद्ध अवयस्क हितेन विशराज को विपक्षिया के आधिपत्य से निकालकर स्वयं की अभिरक्षा में दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के नियमित प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार हैं कि, प्रार्थी का विवाह विपक्षी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक 11.12.2008 में बिना दान दहेज सम्पन्न हुआ। शादी के बाद विदा होकर विपक्षी उसके निवास स्थान पर आयी तथा वह प्रेमपूर्वक रहने लगे। उनके संसर्ग से एक पुत्र हितेन विशराज दिनाक 15.09.2011 को पैदा हुयी। दिनांक 25.11.2017 को विपक्षी के पिता उसके घर आये तथा उसके माता पिता से विपक्षी की मां की तबियत खराब होने की बात कही तब विपक्षी अपने पिता के साथ बिना किसी कारण के दिनांक 26.11.2017 को मय पुत्र हितेन विशराज के चली गयी। वह सम्मिलित परिवार में रहताहै उसका पूरा परिवार हितेन विशराज का ध्यान रखता था तथा प्यार देता था इसलिये हितेन विशराज के उज्जवल भविष्य हेतु हितेन विशराज की कस्टडी उसे दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। हितेन विशराज का जन्म उसके घर हुआ सम्मिलित परिवार होने के कारण हितेन विशराज को सभी से अत्यंत लगाव है। विपक्षी के मायके में मात्र हितेन विशराज के बूढ़े नाना–नानी हैं जिससे उसे बच्चों का साथ नहीं मिल पा रहा है और हितेन विशराज अपने भाई–बहिन, दादा–दादी के प्रेम से वंचित हो रहा हे। विपक्षी बिना किसी युक्ति युक्त कारण के उससे अलग रह रही है। उसने अपने पुत्र को घर बुलाने का काफी प्रयास किया और एक वाद धारा 9 हि0वि0अधि0 का गाजियाबाद में प्रस्तुत किया किन्तु ऐसा प्रतीत

प्रधान न्यायाधीश–परिवार न्यायालय
एटा।

होता है कि विपक्षी अपने माता पिता के दबाब में उसके साथ रहना नहीं चाहती है। विपक्षी के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। विपक्षी ने उससे अपने तथा पुत्र हितेन विशराज के भरण पोषण हेतु दिनांक 15.03.2018 को वाद प्रस्तुत कर दिया है तथा विपक्षी हितेन विशराज की उचित देखभाल में सक्षम नहीं है तथा शिक्षा दिलाने में असमर्थ है। विपक्षी ने भरण पोषण के वाद में प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया कि उसके पास उसके वउसके पुत्र हितेन विशराज के भरण पोषण हेतु आमदनी का कोई साधन नहीं है, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दिलाने व अन्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। विपक्षी चालाक महिला होने के कारण जानबूझकर हितेन विशराज को परिवार से अलग किये है और उस पर तथा उसके परिवारीजन पर मानसिक अत्याचार कर रही है इसप्रकार हितेन विशराज का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। वह अपने पुत्र हितेन विशराज के संरक्षक के रूप मे ंकाम करने हेतु सक्षम है तथा उसकी प्राईवेट नौकरी से 8 हजार रूपये माहवार की आमदनी है। हितेन विशराज आस्था पब्लिक स्कूल नासिरपुर गाजियाबाद में पढ़ रहा था किन्तु विपक्षी के साथ रहने से उसकी पढ़ाई छूट गयी है। उसने व उसके परिवारीजन ने हितेन विशराज व विपक्षी को लाने का काफी प्रयास किया किन्तु विपक्षी ने उसके साथ आने से इंकार कर दिया। ग्राम अम्बरपुर में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है जबकि हितेन विशराज के स्वर्णिम भविष्य के लिये अच्छी शिक्षा दिलाया जाना आवश्यक है। अतः हितेन विशराज का उसकी शिक्षा, मानसिक विकास, एवं उज्जवल भविष्य हेतु उसकी कस्टडी में दिया जाना अति आवश्यक है। अतः अवयस्क हितेन विशराज को स्वंय की अभिरक्षा में दिये जाने की मांग की है।

पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुयी। अतः विपक्षी के विरूद्ध जरिये रजिस्ट्री तामील पर्याप्त माने जाने के उपरांत उसके विरूद्ध दिनांक. 13.05.2019 को वाद की कार्यवाही एकपक्षीय चलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

एकपक्षीय मौखिक साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से 11ए2 साक्ष्य शपथपत्र बतौर पी0डब्लू0–1 बसंत कुमार तथा 18ए2 साक्ष्य शपथपत्र पी0डब्लू0–2 नरेन्द्र कुमार प्रस्तुत किया गया। अभिलेखीय साक्ष्य में 12सी1 सूची से एक किता छायाप्रति जन्म प्रमाणपत्र हितेन विशराज, छायाप्रति पहिचानपत्र आस्था पब्लिक स्कूल, दो किता छायाप्रति फीस रसीद 8 किता फोटोग्राफस तथा छायाप्रति आधारकार्ड बसन्त कुमार क्रमशः 13सी1 लगायत 17सी1, सूची 20सी1 से 3 किता छायाप्रति प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0, छायाप्रति प्रार्थनापत्र दिनांक 05.04.2019 तथा छायाप्रति शपथपत्र प्राची क्रमशः 21सी1 लगायत 23सी1, सूची 24सी1 से असल शादी

प्रधान न्यायाधीश–परिवार न्यायालय
एटा।

कार्ड 25सी1, तथा सूची 26सी1 से प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र अंतर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 तथा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र दिनांक 05.04.2019 प्रलेख प्रस्तुत किये हैं।

मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी बसंन्त कुमार के कथनानुसार उसका विवाह विपक्षिया से दिनांक 11.12.2008 को हुआ था। प्रार्थी की ओर से मूल शादी कार्ड 25क1 प्रस्तुत हुआ जिससे स्पष्ट हुआ कि, दिनांक 13.12.2008 को विवाह पश्चात स्वागत समारोह बसन्त कुमार एवं प्राची के विवाह के उपलक्ष में किया गया। प्रार्थी की ओर से सत्यप्रतिलिपि 27ग1 प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 प्राची बनाम बसन्त कुमार प्रस्तुत की गयी है जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 11.12.2008 को प्राची एवं बसन्त कुमार का विवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से हितेन विशराज का जन्म प्रमाणपत्र 13ग1 व उसके स्कूल से सम्बन्धित प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, इनसे भी स्पष्ट है कि, हितेन विशराज प्राची एवं बसन्त कुमार का पुत्र है।

धारा 6 हिन्दू अल्पवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम वर्ष 1956 के अनुसार हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और उसकी सम्पत्ति के बारे में भी, निम्नलिखित है,

(क) किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में– पिता और उसके पश्चात् माता, परन्तु जिस अप्राप्तवय ने पांच वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो– उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी,

(ख) अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में– माता और उसके पश्चात पिता,

(ग) विवाहिता लड़की की दशा में पति,

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो–

(क) हिन्दू नहीं रह गया है, या

(ख) वह वाणप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतः और अंतिम रूप से त्याग चुका है,

इस धारा के उपबंधों के अधीन अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप मे ंकार्य करने का हकदार न होगा।

प्रार्थी ने कथन किया है कि, वह अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक है। अवयस्क की आयु इस समय 5 वर्ष से अधिक है। प्रार्थी के अनुसार वह एक निजी कम्पनी में सेवारत है तथा 8 हजार रूपये महीना की आय है। प्रार्थी ने उक्त कथन का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि, अवयस्क हितेन विशराज की जन्मतिथि 15.09.2011 के

अनुसार, वर्तमान में उसकी आयु 5 वर्ष से अधिक है। प्रार्थी एवं विपक्षिया अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक हैं, परन्तु विपक्षिया वर्तमान में अवयस्क का भरण पोषण किये जाने मे सक्षम नहीं है।

विपक्षिया की ओर से में स्वंय के व अपने अवयस्क पुत्र की ओर से भरण पोषण वाद प्रस्तुत किया है जो एफ0टी0सी0–2, एटा के न्यायालय में लंबित है। अवयस्क का हित सर्वोपरि है। वर्तमान मे अल्पवयस्क हितेन विशराज की आयु को देखते हुये तथा उसके हितों को देखते हुये प्रार्थी बसन्त कुमार को अवयस्क हितेन विशराज की अभिरक्षा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थी बसन्त कुमार का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेशः–

प्रार्थी बसन्त कुमार का प्रार्थनापत्र एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अवयस्क हितेन विशराज की अभिरक्षा प्रार्थी/नैसर्गिक संरक्षक, पिता बसन्त कुमार को दी जाती है। विपक्षिया को माह में एक बार बच्चे से मिलने की अनुमति दी जाती है।

(श्रीमती मृदुला कुमार)
दिनांकः 01.08.2019 प्रधान न्यायाधीश–परिवार न्यायालय,
एटा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(श्रीमती मृदुला कुमार)
दिनांकः 01.08.2019 प्रधान न्यायाधीश–परिवार न्यायालय,
एटा।

प्रधान न्यायाधीश–परिवार न्यायालय
एटा।